

**कार्यालय संभागीय उपायुक्त, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास,  
सागर संभाग, सागर  
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

- 1.1 **प्रस्तावना**— संभागीय उपायुक्त, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास, सागर संभाग, सागर के कार्यालय द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत यह जानकारी प्रत्येक नागरिक के उपयोग हेतु तैयार की गयी है। इसमें वे सभी विषय समाहित हैं जिनका संपादन प्रत्यक्ष रूप से संभागीय उपायुक्त एवं उनके अधीनस्थ/सहायक आयुक्त/जिला संयोजक एवं अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाता है ।
- 1.2 **उद्देश्य**— यह जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में दिए गए उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तैयार की गई है। सूचनाओं में पारदर्शिता लाना एवं प्रशासन को उत्तरदायी बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है ।
- 1.3 **यह जानकारी किन व्यक्तियों/संस्थाना/संगठनों आदि के लिए उपयोगी है:—**  
यह जानकारी प्रशासन के विभिन्न विकास विभाग/अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ अन्य व्यक्तियों तथा प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगी है ।
- 1.4 **संपर्क व्यक्ति**  
इस जानकारी में समाहित विषयों एवं अधिनियम से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त के लिए संभागीय उपायुक्त तथा सहायक अनुसंधान अधिकारी आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास, सागर संभाग, सागर से सम्पर्क किया जा सकता है।

जानकारी प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क

जानकारी विवरण	जानकारी हेतु निर्धारित शुल्क
1.कम्प्यूटरीकृत जानकारी/सूचनाएं	1.बी.पी.एल.आवेदक को कोई शुल्क नहीं 2.अन्य आवेदकों से ए 4 साइज पेपर पर 2रु.प्रति पृष्ठ अथवा वास्तविक लागत
2.अभिलेख अवलोकन –जानकारी का विवरण जानकारियों/अभिलेखों का अवलोकन	म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश क्रमांक एफ-11-37/2005/1/9/ दिनांक 10 अक्टूबर 2005 के अनुसार

## अध्याय-2 मैनुअल-

संभागीय उपायुक्त आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास के कृत्य एवं कर्तव्य की विषिष्टताएं :-

### 2.1 संभागीय उपायुक्त कार्यालय के गठन का उद्देश्य -

संभाग में आदिम जाति, अनुसूचित जाति कल्याण के लिए क्रियान्वयन की जा रही विभागीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, सतत् अनुश्रवण एवं विभाग के अमले पर नियंत्रण कर प्रशासकीय कसावट लाना, विभागाध्यक्ष एवं षासन को जिलों से भेजी जा रही जानकारियों/प्रतिवेदनों का परीक्षण कर षासन की मंषा अनुसार योजनाओं के माध्यम से इन वर्गों के कल्याण की निगरानी रखना । इस कार्यालय के गठन का प्रमुख उद्देश्य है ।

2.2 **विभाग के दायित्व** - संभागीय कार्यालय संभाग के अंतर्गत जिलों में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में इन वर्गों के हितों के संरक्षण व संवर्धन के लिए प्रहरी के रूप में कार्य करना ।

1. षासन द्वारा जिलों को प्रदत्त आबंटन के षतप्रतिषत सदुपयोग, निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति तथा पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ पहुंचाने के लिए सतत अनुश्रवण वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा सौंपी गई जांच एवं अन्य कार्यों को समय सीमा पर निष्पादन/संभाग अंतर्गत जिलों के जिला अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन सेवा अभिलेख, अवकाष आदि प्रकरणों का निराकरण ।

### 2.3 प्रशासनिक संरचना -

यह कार्यालय 1998 तक संभागीय कार्यालय आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विकास के नाम से संचालित था । जून 1999 में संभागीय कार्यालयों का विघटन हो गया था ।

शासन द्वारा संभागीय कार्यालय का पुर्नगठन अगस्त, 2006 में किया गया कार्यालय संभागीय उपायुक्त,आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास, सागर संभाग, सागर अक्टूबर, 2006 से संचालित है ।

वर्तमान प्रशासकीय संरचना निम्नानुसार है :-

1	श्री एम0एस0मरावी	संभागीय उपायुक्त
2	श्रीमति मंजूलता राघव	प्रभारी सहा. नियोजन अधि.
3	श्री एम.के. रायकवार	सहायक ग्रेड-2
4	श्री अषोक दास	सहायक ग्रेड-3
5	श्री माधव प्रसाद पटेल	सहायक ग्रेड-3
6	श्री हीरालाल	भृत्य
7	श्री वक्ता प्रसाद	भृत्य
8	श्री गोकल प्रसाद	भृत्य
9	श्रीमति गोमतीबाई	भृत्य

### अध्याय-3 मैनुअल-2

अधिकारियों और कर्मचारियों की षक्तियां एवं कर्तव्य

3.1 कार्यालय संभागीय उपायुक्त, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास, सागर संभाग, सागर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की षक्तियां एवं कर्तव्य विवरण :-

पद का नाम	संभागीय उपायुक्त
षक्तियां	प्रशासकीय

संभागीय उपायुक्त संभाग के आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग कार्यालयों द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभागीय योजनाओं में सफल क्रियान्वयन एवं विभाग के अमले के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी होंगे । संभागीय अधिकारी के रूप में उनका जिलों के जिला अधिकारियों पर सीधा नियंत्रण होगा । वे संभागीय अधिकारी के रूप में प्रदत्त प्रशासकीय षक्तियों का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकेंगे ।

**2. वित्तीय:-** वे संभागीय अधिकारी के रूप में म0प्र0 बुक आफ फाइनेंसियल पावर में प्रदत्त षक्तियों का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकेंगे ।

**कर्तव्य:-**1. संभागीय उपायुक्त, संभागीय अधिकारी के रूप में संभाग में पदस्थ विभाग के अमले के नियंत्रण अधिकारी का कार्य करेंगे ।

2. विभाग की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के संभाग में सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे ।

3. अपने संभाग में विभिन्न विभागीय गतिविधियों का मागदर्शन, पर्यवेक्षण एवं समन्वय करेंगे ।

1. संभागीय आयुक्त के संपर्क में रहकर उनके तथा कलेक्टरों के बीच समन्वय सूत्र के रूप में कार्य करेंगे ।
2. संभागीय उपायुक्त, विभाग द्वारा संचालित तथा जिलों द्वारा क्रियान्वित सभी महत्वपूर्ण योजनाओं की निगरानी करेंगे जैसे :-
3. वे आदिवासी उपयोजना तथा विशेष घटक योजना कार्यक्रमों का संभाग स्तर पर नियंत्रण, पर्यवेक्षण व समन्वय करेंगे ।
4. भ्रमण के समय जनता से प्राप्त शिकायतों का त्वरित गति से निपटारा कराना
5. अपने क्षेत्र में सक्षम अधिकारियों से प्रतिवर्ष एक अप्रैल की स्थिति में पदक्रम सूची प्रकाशित कराना ।
6. अपने क्षेत्र में मातहत अधिकारियों से कर्मचारियों की समय पर गोपनीय चरित्रावली लिखवाना ।
7. अपने क्षेत्र में संचालित गतिविधियों की प्रत्येक माह आयुक्त, आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास की जानकारी / प्रगति भेजना ।
8. अपने संभाग में संचालित विभिन्न विभागीय कार्यालयों का वर्ष में एक बार निरीक्षण करना
9. अधीनस्थ सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक/परियोजना अधिकारियों, क्षेत्र संयोजक, मंडल संयोजक, प्राचार्यों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण रोस्टरों का तैयार करना, अनुमोदन करना एवं यह सुनिश्चित करना की रोस्टर के अनुरूप निरीक्षण हो ।

10. म0प्र0 आदिवासी वित्त विकास निगम, अनुसूचित जाति सहकारी वित्त विकास निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की संभाग स्तर पर समीक्षा एवं अनुश्रवण करना ।
11. विभागीय एजेंसी एवं अन्य एजेंसियों द्वारा किए जा रहे विभागीय विकास कार्यों की समीक्षा व निरीक्षण करना ।
12. आडिट आपत्तियों के निराकरण की समीक्षा, अस्थाई अग्रियों के समायोजन की समीक्षा एवं दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करना ड्राफ्ट पेरा से संबंधित कार्यवाही ।
13. अनुदान प्राप्त अषासकीय संस्थाओं का वर्ष में एक बार निरीक्षण करना ।
14. जिले के विभागीय अधिकारियों की मासिक बैठक आयोजित कर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना तथा राज्य स्तर पर आयोजित बैठकों में जानकारी देना ।
15. संभाग के जिलों के विधानसभा प्रश्नों की मॉनिटरिंग करना ।
16. संभाग के जिलों के न्यायालयीन प्रकरणों की मानिटरिंग तथा लंबित प्रकरणों में निराकरण की कार्यवाही करवाना ।
17. अनुसूचित जाति / जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा आकस्मिकता योजना नियम 1995 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की संभाग स्तर पर समीक्षा कराना ।
18. संभाग के जिलों में पदस्थ जिला संयोजक, प्राचार्य, लघु परियोजना अधिकारियों की सेवा पुस्तिकाओं का अपने कार्यालय में संधारण करवाना ।
19. विभागीय प्राचार्य, परियोजना अधिकारी, क्षेत्र संयोजक, विकासखंड अधिकारी, उपयंत्रि की गोपनीय चरित्रावली पर द्वितीय मतांकन करना ।
20. अनुसूचितजाति एवं जन जाति के कल्याण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं के अधीन निर्माण कार्यों की अधिकार सीमा में प्रषासकीय स्वीकृति देना ।
21. लघु मरम्मत, विशेष मरम्मत, भवन संधारण की अनुमति/अनुमोदन देना
22. संभाग में पदस्थ समस्त द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत अंतिम विकर्षण की स्वीकृति देना ।
23. सेवा निवृत्त होने वाले द्वितीय श्रेणी के अधिकारी के (प्राचार्य, व्याख्याता सहित) के जी.आई.एस./एफ.बी.एफ./ समूह बीमा योजना के अंतर्गत अंतिम भुगतान की स्वीकृति देना ।
24. स्कूलों एवं छात्रावासों /आश्रम के लिये फर्नीचर प्रयोग शाला उपकरण, व शिक्षण सामग्री के क्रय की मंजूरी देना ।

पद नाम	प्रभारी सहायक नियोजन अधिकारी श्रीमति मंजूलता राघव सहायक लोक सूचना अधिकारी ।
कर्तव्य	योजना,स्थापना,छात्रवृत्ति,छात्रावास,आश्रम,षिकायत,आवक-जावक,लेखा,योजना एवं सांख्यिकी शाखा के प्रभारी,बैठकों की जानकारी,अनुसूचित जाति एवं जनजातीय उपयोजना अनुश्रवण एवं मूल्यांकन,स्थल निरीक्षण, स्टोर, नियोजन, सबप्लान स्टेसनरी,आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास निगम,पी0ई0टी0सी0 से संबंधित पत्राचार,कार्यालयीन बैठकों की व्यवस्था, स्काउट गार्ड एवं क्रीडा प्रतियोगिता आदि शाखाओं की नस्तियों का परीक्षण तथा समय-समय पर सौपे गए अन्य कार्य ।
पद नाम	लेखापाल श्री सिराज मुहम्मद खान
कर्तव्य	सेवा अभिलेखों का संधारण,गोपनीय प्रतिवेदन,वनअधिकार अधिनियम,अत्याचार निवारण अधिनियम 1989,सद्भावना षिविर,राहत सहायता,आदर्ष ग्राम पंचायत पुरूस्कार,निर्माण,छात्रावास आश्रम,भवन सुदृणीकरण,लघु मूल कार्य,अनुसूचित जाति जनजाति बस्ती विकास,विद्युतीकरण,परीक्षा पूर्व प्रषिक्षण केन्द्र से संबंधित नस्तियां,विधानसभा प्रष्ण,आदिवासी परियोजना,माडा पैकेट,लघु अंचल से संबंधित नस्तियों का संधारण,बैठके,सूचना के अधिकार संबंधी नस्तियां ।
पद नाम	श्री अषोक दास सहायक ग्रेड-3
कर्तव्य	छात्रावास,आश्रम,षिष्यवृत्ति,पो.मै.छात्रवृत्ति,आवास भत्ता,छात्रावासों में अंग्रेजी कोचिंग,विदेश अध्यायन छात्रवृत्ति,उत्कृष्ट षिक्षा केन्द्र,छात्रावासों में पुस्तकालय स्थापना,छात्रावासों के किचिन गार्डन,आदिवासी वित्त विकास निगम,अन्त्यावसायी योजना,जन षिकायतें,सी0एम0हेल्फ लाईन,लोक सेवा गारन्टी संबंधित नस्तियां एवं अन्य सौपे गए कार्य ।
पद नाम	सहायक ग्रेड-2 श्री एम0के0 रैकवार (सेवानिवृत्त कलेक्टर दर पर नियुक्त)
कर्तव्य	लेखाषाखा, आडिट एवं स्टोर शाखा का कार्य, टंकण कार्य एवं समय-समय पर सौपे गये अन्य कार्य
पद नाम	सहायक ग्रेड-2 श्रीमति अनीता मैसी
कर्तव्य	दिल्ली स्थित कोचिंग संस्थानो में यू0पी0एस0सी0 कोचिंग,सिविल सेवा प्रोत्साहन,साइकिल प्रदान योजना,प्रतिभा योजना,नेतृत्व विकास षिविर, स्काउट/गार्ड,ष्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना,आवक-जावक शाखा/पुराने अभिलेखों का संधारण कार्यालयीन बैठकों की व्यवस्था एवं अन्य सौपे गए कार्य ।
पद नाम	श्री माधव प्रसाद पटेल सहायक ग्रेड-3
कर्तव्य	न्यायालयीन प्रकरण विभा0जॉंच,पेंषन,निलंबन,निरीक्षण,वरिष्ठता सूचीआरक्षण रोस्टर,विषिष्ट संस्थाओं का संचालन एवं प्रवेश हेतु कोचिंग व सहायता, स्टोर,आश्रम सामग्री पूर्ती,विषिष्ट अतिथियों के भ्रमण संबंधी नस्तियां एवं लेखा शाखा से संबंधित कार्य एवं टंकण कार्य एवं अन्य सौपे गए कार्य ।

## अध्याय -4 ( मैनुअल -3 )

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम विनियम , अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख

4.1 संभागीय उपायुक्त कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किए जाने वाले नियम विनियम अनुदेश ,निर्देशिका और अभिलेख की सूची जो इस कार्यालय से उपलब्ध करायी जावेगी वे परिशिष्ट "अ" में दर्शित है :-

नियम, विनियम अनुदेश ,निर्देशिका और अभिलेख कहां से प्राप्त कर सकते है :-

1. पता – संभागीय उपायुक्त , आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास, सागर संभाग, सागर  
दूरभाष क्रमांक – 07582-237038  
फैक्स – 07582 -236967  
शुल्क – निर्धारित शुल्क देय होगा ।
- 2.पता – सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, सागर / जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण,  
– दमोह ,पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़

### मैनुअल –3 परिषिष्ठ "अ"

अभिलेख :-

क्र.	अभिलेख का नाम	प्रकार	अभिलेख का संक्षिप्त परिचय
1	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955	विनियम	अनु.जा./जन जाति के प्रति अस्पृश्यता ,उत्पीड़न अत्याचार आदि नागरिक अधिकारों के उलंघन पर गैर अनु.जाति/जन जाति के व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही हेतु बनाया गया अधिनियम
2	अनु.जाति और अनु. जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989	विनियम	अनु.जा./जन जाति के प्रति अस्पृश्यता ,उत्पीड़न अत्याचार आदि नागरिक अधिकारों के उलंघन पर गैर अनु.जाति/जन जाति के व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही हेतु बनाया गया अधिनियम
3	छात्रावास नियम 1966-67	नियम	छात्रावासो/आश्रमों के संचालन हेतु बनाए गए नियम
4	म0प्र0 अनु.जाति/जन जाति राहत योजना नियम 1979	नियम	अनु.जाति/जन जाति के हितग्राहियों को संकटापन्न स्थिति में राहत देने के नियम
5	राज्य प्रावीण्य छात्रवृत्ति नियम 1984	नियम	अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रावीण्यता के आधार पर छात्रवृत्ति देने की प्रक्रिया, पात्रता तथा स्वीकृति के अधिकार को दर्शाने वाला नियम
6	आकस्मिकता योजना नियम 1995	नियम	अनु. जाति/जन जाति के व्यक्तियों के उत्पीड़न पर उन्हें दी जाने वाली राहत राशि को विनियमित करने हेतु बनाए गए नियम
7	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम	नियम	केन्द्र शासन द्वारा प्रवर्तित मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्वीकृति, वितरण, आवेदन का तरीका छात्रवृत्ति की राशि हेतु बनाए गए नियम
8	विद्यार्थी कल्याण सहायता योजना	सर्कुलर	निर्धन विद्यार्थियों की प्रतिभा के विकास हेतु दी जाने वाली सहायता योजना ।
9	प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के लिए नेतृत्व विकास षिविर	सर्कुलर	विद्यार्थियों में नेतृत्व विकास के लिये आयोजित किए जाने वाले षिविर संबंधी निर्देश
10	गोपनीय चरित्रावली	निर्देश पुस्तिका में	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखने संबंधी नियम निर्देशों का संकलन
11	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में धन राशि के उपयोग संबंधी निर्देश	सर्कुलर	आदिवासियों के विकास हेतु गठित परियोजनाओं में दी गई धन राशि के उपयोग के संबंध में निर्देश
12	उत्कृष्टता शिक्षा संस्थान	नियम	अनु.जाति/अनु. जन जाति उत्कृष्टता छात्रावासों में प्रवेश एवं षिष्यवृत्ति आदि के संबंध में नियम निर्देश
13	पुस्तक	पुस्तक	
14	अनुसूचित जाति विकास की समस्त योजनाओंका संकलन	पुस्तक संकलन	
15	अनुसूचित जन जाति विकास की समस्त योजनाओं का संकलन	पुस्तक संकलन	

## अध्याय –5 ( मैनुएल –4 )

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधियों से परामर्श के लिये बनाई गई व्यवस्था का विवरण :-

विभागीय नीति निर्धारण के लिए जन प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर शासन/विभागाध्यक्ष स्तर पर विभिन्न समितियां गठित है एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन है जिनमें जन प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं ।

संभागीय उपायुक्त आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास सागर संभाग सागर के स्तर पर माननीय जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए किसी बोर्ड , परिषद या समिति का गठन किए जाने का शासन द्वारा प्रावधान नहीं किया गया है ।



## अध्याय -6 ( मैनुअल -5 )

संभागीय उपायुक्त कार्यालय के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गीकरण के अनुसार विवरण :-

क्र.	दस्तावेज का नाम एवं परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया	धारक /नियंत्रणाधीन
1 अधिनियम	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955	निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने एवं शुल्क जमा करने के उपरांत दी गई समयवधि में जानकारी सूचना अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायी जावेगी .	संभागीय उपायुक्त , आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास सागर संभाग सागर/ जिला संयोजक
2अधिनियम	अनु0 जाति/ जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989	दरों का विवरण— 1. आवेदान पत्र के साथ 10/- के नानजुडिषियल स्टाम्प के रूप में लगाना होगा 2. चाहे गए दस्तावेज की छाया प्रति प्रति पृष्ठ के मान से राशि 2/-देय होगी 3. प्रमाणित करने हेतु निर्धारित शुल्क देय होगा 4. गरीबी रेखा के नीचे के आवेदक से शुल्क नहीं लिया जावेगा	संभागीय उपायुक्त , आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास सागर संभाग सागर/ जिला संयोजक
3. नियम	छात्रावास नियम 1066-67	विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध	जिला संयोजक /संभागीय उपायुक्त,आदि.अनु. जाति विकास सागर संभाग सागर
4.नियम	म0प्र0 अनुसूचित जाति/जन जाति रहत योजना नियम 1979	विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध	
5.नियम	प्रावीण्य छात्रवृत्ति नियम 1984	विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध	

6.नियम	आकस्मिकता योजना नियम 1995	विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध	
7.नियम	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम 1.10.95 से लागू	विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध	
8. नियम	भंडार कय नियम (प्रूस्तिका संलग्न)	विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध	
9.नियम	सूचना का अधिकार 2005	विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध	
10 परिपत्र	प्रशासकीय ढाचा पदों की स्वीकृति संभागीय उपायुक्त कार्यालय	म0प्र0 शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय,भोपाल के आदेश क्र0/एफ-4/249/05/25, भोपाल, दिनांक 18.12.2006 द्वारा स्वीकृत	
11	संभागीय कार्यालयों के गठन प्रदत्त ष्वक्तियां एवं कर्तव्यों का विवरण	-----”-----	

कार्यालया / छात्रावास/आश्रमों के निरीक्षण प्रतिवेदन

## अध्याय-7 मेनुअल -6

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण :-

विभागीय नीति निर्धारण के लिये शासन / विभागाध्यक्ष स्तर पर विभिन्न समितियों एवं परिषदों का गठन है।

1. अनुसूचित जाति और अनु. जन जाति आकस्मिकता योजना नियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करने तथा सलाह देने हेतु जिला स्तर पर एवं उपखण्ड स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समिति गठित है।

2. अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को संभाग स्तर पर आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना म0प्र0 शासन द्वारा वर्ष 2002-03 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत संभाग मुख्यालय सागर में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय संचालित है। आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु संभागायुक्त सागर की अध्यक्षता में प्रबंध समिति गठित है।

उक्त समितियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	समिति का नाम	गठन का आदेश क्र. व दिनांक	कर्तव्य / उत्तरदायित्व	सदस्यों के नाम	योग्यता	रिमार्क
1	अनुजा / जनजाति आकस्मिकता योजना, सतर्कता, सलाहकार एवं अनुश्रवण समिति	जिला एवं उपखंड स्तर पर गठन किया जाता है।	-	-	-	-
2	संभागीय आवासीय विद्यालय संचालन प्रबंध समिति	क्र.एफ-12 / 33 / 02 25 / 4 दिनांक 26. 6.03	आवासीय विद्यालय में प्रवेश, संचालन हेतु नीति निर्धारण, स्टाफ एवं भवन की व्यवस्था तथा विद्यालय एवं छात्रावास के क्रियाकलापों की समीक्षा करना	1. संभागायुक्त-अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक / उपसंचालक शिक्षा विभाग -सदस्य 3. जिलासंयोजक आदिम जाति कल्याण -सदस्य	-	-

**अध्याय –8 मैनुअल –7**  
**लोक सूचना अधिकारियों के नाम पद नाम एवं अन्य विषिष्टयां :-**

लोक प्राधिकारी का नाम – संभागीय उपायुक्त, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति  
विकास सागर संभाग सागर

क्र.	प्राधिकारी	नाम	पद नाम	दूरभाष		फेक्स	पता
				कार्यालय	निवास		
1	लोक सूचना अधिकारी	श्री एम0एस0मरावी	संभागीय उपायुक्त	237038	240122	236967	संभागीय उपायुक्त, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास सागर संभाग सागर
2	सहायक लोक सूचना अधिकारी	श्रीमति मंजूलता राघव	सहायक नियोजन अधिकारी	237038		236967	
3	अपीलीय अधिकारी	—	—	—	—	—	आयुक्त, आदिवासी विकास/अनुसूचित जाति विकास, म0प्र0 भोपाल

## अध्याय –9 मैनुअल –8

निर्णय लेने की प्रक्रिया

- 9.1 सूचना के अधिकार अन्तर्गत निर्णय लेने की प्रक्रिया  
 विभाग का नाम – आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग  
 कार्यालय का नाम– संभागीय उपायुक्त, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास  
 सागर संभाग, सागर

क्र	पद	दायित्व	दायित्व संबंधी कार्य/मामले	निर्णय के विरुद्ध अपील
1	श्रीमति अनीता मैसी, सहायक ग्रेड-2	दिल्ली स्थित कोचिंग संस्थानों में यू0पी0एस0सी0 कोचिंग,सिविल सेवा प्रोत्साहन,साइकिल प्रदान योजना, प्रतिभा योजना,	नेतृत्व विकास षिविर, स्काउट गार्ड,ष्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना,आवक-जावक शाखा/पुराने अभिलेखों का संधारण कार्यालयीन बैठकों की व्यवस्थाए	—
2	श्रीएम.के. रायकवार सहायक ग्रेड-2,सेवा निवृत्त (कलेक्टर दर)	लेखाशाखा ,स्टोर आडिट शाखा का कार्य,परीक्षा पूर्व प्रषिक्षण केन्द्र के आहर वितरण संबंधी कार्य	लेखा संधारण ,स्टाक पंजी एवं स्टोर का संधारण आडिट संबंधी पत्रों का प्रस्तुतीकरण,	—
3	श्री अषोक दास सहायक ग्रेड-3	छात्रावास,आश्रम,षिष्य वृत्ति,पो.मै. छात्रवृत्ति,आवास भत्ता,छात्रावासों में अंग्रेजी कोचिंग,विदेश अध्यायन छात्रवृत्ति,उत्कृष्ट षिक्षा केन्द्र,	छात्रावासों में पुस्तकालय स्थापना,छात्रावासों के किचिन गार्डन,आदिवासी वित्त विकास निगम,अन्त्यावसायी योजना,जन षिकायतें,सी0एम0हेल्फ लाईन,लोक सेवा गारन्टी संबंधित नस्तियां एवं अन्य सौपे गए कार्य।	—
4	श्री सिराज मुहम्मद खान,लेखापाल	सेवा अभिलेखों का संधारण,गोपनीय प्रतिवेदन,वनअधिकार अधिनियम,अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 सदभावना षिविर,राहत सहायता,आदर्ष ग्राम पंचायत पुरूसकार,निर्माण,छात्रा वास आश्रम,भवन सुदृणीकरण,लघु मूल	अनुसूचित जाति जनजाति बस्ती विकास,विद्युतीकरण,परीक्षा पूर्व प्रषिक्षण केन्द्र से संबंधित नस्तियां,विधानसभा प्रज्ज,आदिवासी परियोजना,माडा पैकेट,लघु अंचल से संबंधित नस्तियों का संधारण,बैठके,सूचना के अधिकार संबंधी नस्तियां।	—

		कार्य,		
5	माधव प्रसाद पटेल सहायक ग्रेड-3	न्यायालयीन प्रकरण विभागीय जांच,पेंशन,निलंबन,निर ीक्षण,वरिष्ठता सूचीआरक्षण रोस्टर,विषिष्ट संस्थाओं का संचालन एवं प्रवेश हेतु कोचिंग व सहायता,	स्टोर,आश्रम सामग्री पूर्ती,विषिष्ट अतिथियों के भ्रमण संबंधी नस्तियां एवं लेखा शाखा से संबंधित कार्य एवं टंकण कार्य के साथ-साथ समय-समय सौपे गए कार्यों का संपादन।	-
6	श्रीमति मंजूलता राघव सहायक नियोजन अधिकारी	समस्त शाखाओं की नस्तियों का परीक्षण एवं निपटारा तथा अभिमत प्रस्तुत करना	योजना,स्थापना,छात्रवृत्ति,छात्रावा स,आश्रम,षिकायत,आवक-जावक, लेखा,योजना एवं सांख्यिकी शाखा के प्रभारी,बैठकों की जानकारी,अनुसूचित जाति एवं जनजातीय उपयोजना अनुश्रवण एवं मूल्यांकन,स्थल निरीक्षण, स्टोर, नियोजन, सबप्लान स्टेशनरी,आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास निगम,पी0ई0टी0सी0 से संबंधित पत्राचार,कार्यालयीन बैठकों की व्यवस्था, स्काउट गाईड एवं क्रीडा प्रतियोगिता आदि शाखाओं की नस्तियों का परीक्षण तथा समय-समय पर सौपे गए अन्य कार्य।	-
7	श्री एम0एस0 मरावी , संभागीय उपायुक्त	निर्णय लेने का कार्य नस्तियों का परीक्षण एवं निपटारा ,अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	न्यायालयीन प्रकरणों का पालन, अभ्यावेदनों का निराकरण, विभागीय जांच, जिलों में संचालित योजनाओं का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण तथा अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण एवं नियंत्रण करना।	संभागीय उपायुक्त के निर्णय के विरुद्ध अपील आयुक्त सागर संभाग सागर को की जा सकती है।

## अध्याय –10 मैनुअल –9

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

10.1

आदिम जाति कल्याण विभाग के महत्वपूर्ण दूरभाष:-

क्र.	नाम	पद नाम	एस.टी. डीकोड नम्बर	दूरभाष		फेक्स	पता
				कार्यालय	निवास		
1	-	आयुक्त, आदिवासी विकास म0प्र0 भोपाल	0755	2557088	-	2551368	कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास सतपुड़ भवन द्वितीय मंजिल म0प्र0 भोपाल
2	-	आयुक्त, अनु0जाति विकास म0प्र0 भोपाल	0755	2661876	-	2661869	कार्यालय आयुक्त, अनु0जाति विकास श्यामला हिल्स म0प्र0 भोपाल
3	श्री एम0एस0मरावी	संभागीय उपायुक्त	07582	237038	226214	236967	कार्यालय संभागीय उपायुक्त
5	श्रीमति मंजूलता राघव	प्रभारी सहायक नियोजन अधिकारी	07582	237038	9644718599 9301693563	-	,आदिवासी एवं अनु0 जाति
4	श्री माधव प्रसाद पटेल	सहायक ग्रेड-3	07582	237038	8120543689		विकास तिली रोड मेडीकल
6	श्री महेश कुमार रायकवार	सहायक ग्रेड-2,सेवा निवृत्त(कलेक्टर दर)	07582	237038	9425461914	-	कॉलेजके सामने सागर संभाग, सागर
9	श्री गोकुल प्रसाद	भृत्य	07582	237038	9300245492	-	-
10	श्री वक्ता प्रसाद	भृत्य	07582	237038	-	-	-
11	श्री हीरालाल	भृत्य	07582	237038	-	-	-

12	श्रीमति गोमती बाई	भृत्य	07582	237038	—	—	
13	श्री के०के० सूर्येष्ठ	प्रभा०सहायक आयुक्त, आ०वि० सागर	07582	266073	—	266073	सहायक आयुक्त, आ०वि० सागर
14	सुश्री षिखा सोनी	जिला संयोजक दमोह	07812	224730	—	222376	जिला संयोजक ,आ.जा.क. दमोह
17	सुश्री सरिता नायक	जिला संयोजक टीकमगढ़	07683	242032	—	242032 242780	जिला संयोजक ,आ.जा.क. टीकमगढ़
18	श्री आर०पी० भद्रसेन	प्रभारी जिला संयोजक छतरपुर	07682	248618	—	241704	जिला संयोजक ,आ.जा.क. छतरपुर
19	श्री आर०के० सतनामी	प्रभारी जिला संयोजक पन्ना	07732	252094	—	252094	जिला संयोजक ,आ.जा.क. पन्ना
20	श्री के०के० सूर्येष्ठ	परियोजना अधिकारी देवरी	07586	250267	—	—	कार्यालय आदिवासी लघु परियोजना देवरी
21	श्री के०के०जैन	प्रभारी परियोजना अधिकारी दमोह	07812	222231	—	—	कार्यालय आदिवासी लघु परियोजना दमोह
22	श्रीआर०के० सतनामी, क्षे०सं०	परियोजना अधिकारी पवई	—	—	—	—	कार्यालय आदिवासी लघु परियोजना पवई



## अध्याय –11 मैनुअल–10

अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक  
संभागीय उपायुक्त आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास सागर संभाग सागर के  
कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित पारिश्रमिक (वेतन एवं भत्ते )  
निम्नानुसार भुगतान हो रहा है :-

11.2 संभागीय उपायुक्त कार्यालय –

क्र.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक वेतनमान	मासिक वेतन
1	2	3	4	5
1	श्री एम0एस0मरावी	संभागीय उपायुक्त	15600–39100+7600	35480+7600
2	श्रीमति मंजूलता राघव	प्रभारी सहा. नियोजन अधि.	9300–34800+4200	19740+4200
3	श्री एम.के. रायकवार	सहायक ग्रेड-2, सेवानिवृत्त	कलेक्टर दर	
4	श्री माधव प्रसाद पटेल	सहायक ग्रेड-3	5200–20200+1900	
5	श्री अशोक दास	सहायक ग्रेड-3	5200–20200+1900	
6	श्री हीरालाल	भृत्य	5200–20200+1800	9260+1800
7	श्री वक्ता प्रसाद	भृत्य	5200–20200+1800	9290+1800
8	श्री गोकल प्रसाद	भृत्य	5200–20200+1800	8890+1800
9	श्रीमति गोमतीबाई	भृत्य	4440–7440+1400	8170+1400

**अध्याय –12 ( मैनुअल –11)**  
 प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट  
 (सभी योजनाओं , व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना )

संभागीय उपायुक्त कार्यालय सागर को वर्ष 2017–2018 से बजट आवंटन प्रदाय किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2017–2018		वर्ष 2018–2019	
		अनुमान	व्यय	प्रावधान	व्यय
1481	मांग संख्या 33 / 2225 आयोजनेत्तर जिला प्रशासन वेतन भत्ते	66.16 लाख	5270700 / –	70.62 लाख	–
2526	49 / 2225 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, सिरोंजा, सागर	35.51 लाख	2971000 / –	38.06 लाख	–

## अध्याय –13 ( मैनुअल-12 )

अनुदान / राज्य सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में अनुदान स्वीकृति /राजकीय सहायता की सभी स्वीकृतियां जिला स्तर पर पदस्थ सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण द्वारा जारी करायी जाती है ।

**13.1 ज्ञानोदय विधालय :-** म.प्र. शासन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संभागीय मुख्यालय सागर में अनुसूचित जाति के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के लिये आवासीय विधालय की स्थापना की गई है जिसका नियंत्रण एवं संचालन संभागीय उपायुक्त आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास सागर के अधीन है । इस विधालय की स्थापना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के विधार्थियों को सर्वसुविधा उपलब्ध कराने के साथ -साथ उच्च गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है ताकि ये विधार्थी अधिक से अधिक संख्या में डॉक्टर , इंजीनियर तथा मैनेजमेंट के कोर्सेस में प्रवेश पा सकें । आवासीय विधालय के छात्र एवं छात्राएं अध्ययनसह शिक्षा के रूप में प्राप्त करते हैं किन्तु इनके निवास हेतु पृथक -पृथक छात्रावास होते हैं ।

**प्रवेश की प्रक्रिया :-** कक्षा 6वीं , 9वीं में प्रवेश हेतु वे ही विधार्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 5वीं या 8वीं में 60 प्रतिषत से अधिक अंक प्राप्त किये हो । अधिक आवेदन प्राप्त होने पर चयन परीक्षा आयोजित की जाती है तथा इस परीक्षा की मेरिट के आधार पर एक मेरिट सूची जारी की जाती है , कुल सीटस का 30 प्रतिषत प्रतीक्षा सूची में नाम रखा जाता है । कक्षा 6 वीं तथा कक्षा 9वीं की परीक्षा में 60 प्रतिषत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विधार्थियों के लिये आगामी कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तथा 60 प्रतिषत से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को इस विधालय से हटा दिया जाता है ।

**सीटस संख्या :-** इस विधालय में कक्षा 6 वीं से 12 वीं तक की कक्षाएं संचालित होती हैं ,प्रत्येक कक्षा में 40 सीटस होती हैं कुल सीट संख्या 280 है जिसमें 50 प्रतिषत छात्रों के लिये तथा 50 प्रतिषत छात्राओं के लिये होती है। 10 प्रतिषत छात्र/छात्रा सामान्य /पिछड़ा वर्ग के भी प्रवेश हेतु पात्र है ।

**संकाय :-** कक्षा 11वीं एवं 12 वीं में सिर्फ विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में ही अध्ययन होता है ।

**शिक्षा का माध्यम :-** यद्यपि शिक्षा का माध्यम हिन्दी है किन्तु अंग्रेजी विषय अनिवार्य है ।

**शिष्यवृत्ति :-** चयनित विधार्थी के लिये शासन द्वारा निर्धारित राशि प्रतिमाह शिष्यवृत्ति तथा 100/-रूपये प्रतिमाह पोषण आहार के लिए स्वीकृत किया जाता है

**अन्य भत्ते :-**विधार्थियों के लिये गणवेश , जूते मोजे स्टेपनरी तथा अन्य पाठ्य सामग्री हेतु 2000/-रूपये प्रति विधार्थी प्रति वर्ष विशेष भत्ते के रूप में दिया जावेगा ।

**आवासीय परिसर :-** छात्र एवं छात्राओं के आवास के लिये पृथक-पृथक छात्रावास भवन है । विधार्थियों के लिये निवास ,जल ,विद्युत एवं शयन सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है ।

आवासीय विधालय के संचालन हेतु संभागायुक्त सागर की अध्यक्षता में एक प्रबंध समिति का गठन है इस समिति के द्वारा विधालय संचालन की गतिविधियों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण किया जाता है ।

### अध्याय-14 ( मैनुअल -13 )

रियायतों , अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण :-  
इस कार्यालय के अधीनस्थ कोई भी योजना संचालित नहीं है जिसमें रियायतों , अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के विवरण दिये जा सके ।

---- निरंक ----

### अध्याय-15 ( मैनुअल-14 )

कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक / नियम

#### 15.1 गुणवत्ता :-

क्रमांक	पद नाम	कर्तव्य
1	सहायक ग्रेड-3 स्तर	पत्र का अध्ययन कर संबंधित नस्ती पर प्रस्तुत करना
2	सहायक ग्रेड-2 स्तर	पत्र का परीक्षण एवं कार्यवाही प्रस्तावित करना,स्पष्टटीप देना
3	सहा.सांख्यिकी अधि.	योजना एवं सांख्यिकी से संबंधित नस्तियों का प्रस्तुतीकरण एवं टीप देना
4	स्टेनो	विभागीय जांच ,न्यायालयीन प्रकरणों एवं अन्य विषयों पर डिक्टेसन लेना एवं टंकण नस्ती में प्रस्तुत करना
5	सहा. अनुसंधान अधि. /सहा.नियो. अधि.	नियमों का स्वयं अवलोकन कर नस्तियों का परीक्षण कर समीक्षात्मक टीप देना
6	संभागीय उपायुक्त	निर्णायक टीप देना एवं अंतिम निर्णय करना

#### 15.2 कार्यालयीन कार्य हेतु संख्यात्मक वार्षिक लक्ष्य :-

गतिविधि	लक्ष्य	अवधि
कार्यालय संचालन में कार्यालयीन प्रक्रिया उपरोक्तानुसार पद नाम	कार्यालयीन मैनुअल अनुसार	प्रतिदिन

**अध्याय –16 ( मैनुअल –15 )**  
इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनाये

16–

इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध जानकारी

क्रमांक	श्रेणी	उपलब्धता
1	कार्यालयीन ढांचा	हां
2	वार्षिक बजट	हां
3	वार्षिक रिपोर्ट	हो
4	जनगणना तथा साक्षरता	हां
5	छात्रावास/आश्रमों की सूची	हां
6	संभागीय संरचना	
	1.संबद्ध जिले जिलों की सामान्य जानकारी तथा विभागीय कार्यालय	हां
	2.संभाग के जिलों में संचालित विभागीय छात्रावास/आश्रमों में स्वीकृत भरी सीट	हां
	3. संभाग में चल रहे विभागीय निर्माण कार्यों की जानकारी	हां
	4. आदिवासी विकास लघु परियोजना की सामान्य जानकारी एवं वार्षिक प्रतिवेदन	हां

## अध्याय –17 ( मैनुअल –16 )

सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण :-

क्रमांक	सुविधा	प्रभारी अधिकारी का नाम	कार्यालयीन समय	संपर्क हेतु दूरभाष क्रमांक
1	पुस्तकालय	—	निरंक	—
2	सूचना केन्द्र	—	निरंक	—
3	बेबसाइड	—	निरंक	—

कार्यालयीन समय पर नागरिकों को जानकारीयां प्राप्त करने की सुविधा है ।

17.2 – लोक सूचना अधिकारी का विवरण

1. नाम – श्री एम0एस0 मरावी
2. पद – संभागीय उपायुक्त
3. दूरभाष क्रमांक – 237038

सहायक लोक सूचना अधिकारी का विवरण

1. नाम – श्रीमति मंजूलता राघव
2. पद – सहायक नियोजन अधिकारी
3. दूरभाष क्रमांक – 237038
4. पद स्थापना स्थान – कार्यालय संभागीय उपायुक्त ,आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास सागर संभाग सागर
5. संपर्क समय – कार्यालयीन समय

## ध्याय –18 (मैनुअल-17)

अन्य उपयोगी जानकारीयां

जन सामान्य के उपयोग के लिये उपलब्ध सूचनाओं का विवरण

18.1 छात्रावास / आश्रमो /आवासीय विद्यालयों की संख्या सागर संभाग सागर  
( वर्ष 2015-16 की स्थिति में)

क्र०	छात्रावास / आश्रम	बालक		कन्या		योग		भरी सीट
		संस्था की संख्या	स्वीकृत सीट	संस्था की संख्या	स्वीकृत सीट	संस्था की संख्या	स्वीकृत सीट	
अ- अनुसूचित जाति								
1	पो0मै0छात्रावास	10	500	05	250	15	750	750
2	प्री0मै0 छात्रावास	105	3767	55	2360	160	6127	6127
3	आश्रम	08	265	26	1110	34	1375	1375
4	आवासीय विद्यालय	01	140	01	140	02	280	280
	योग	124	4672	87	3860	211	8532	8532
ब- अनुसूचित जन जाति								
1	पो0मै0छात्रावास	03	150	—	—	03	150	150
2	प्री0मै0 छात्रावास	47	1543	—	—	47	1543	1543
3	आश्रम	18	880	06	300	24	1180	1180
4	आवासीय विद्यालय	—	—	—	—	—	—	—
	योग	68	2573	06	300	74	2873	2873

18.2 अनुसूचित जाति एवं अनु. जन जाति वर्ग के छात्रावासों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी :-

क्र.	मद	आवासीय विधालय (संभाग स्तर ) (अनु.जा.) प्रतिमाह प्रति छात्र	आदर्ष उच्चतर माध्यमिक विधालय (अनु.जन जाति ) प्रतिमाह प्रति छात्र	जिला स्तर उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र (अनु.जा.) प्रतिमाह	जिला स्तर उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र ( अनु.जन जा.)	विकासखंड स्तर पर उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र (अनु. जाति )	विकासखंड स्तर पर उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र( अनु. जनजाति)
1	शिष्यवृत्ति छात्र	हां	-	हां	-	हां	-
	शिष्यवृत्ति छात्रा	हां	-	हां	-	हां	-
2	पौष्टिक आहार	हां	-	हां	-	हां	-
3	पुस्तकें / स्टेपनरी	हां	-	हां	-	हां	-
4	विषेण कोचिंग	हां	-	हां	-	हां	-
5	विषय विषेणज्ञ	हां	-	हां	-	हां	-
6	खेल सामग्री	सुविधा उपलब्ध है	-	सुविधा उपलब्ध है	सुविधा उपलब्ध है	सुविधा उपलब्ध है	सुविधा उपलब्ध है
7	कम्प्यूटर	सुविधा उपलब्ध है	-	सुविधा उपलब्ध है	सुविधा उपलब्ध है	सुविधा उपलब्ध है	सुविधा उपलब्ध है
8	लायब्रेरी	सुविधा उपलब्ध है	-	सुविधा उपलब्ध है	सुविधा उपलब्ध है	सुविधा उपलब्ध है	सुविधा उपलब्ध है
9	आकस्मिक व्यय	-	-	प्रति संस्था प्रति वर्ष	प्रति संस्था प्रति वर्ष	प्रति संस्था प्रति वर्ष	प्रति संस्था प्रति वर्ष

टीप:- शासन द्वारा महंगाई दर के आधार पर समय-समय पर संशोधित दरों के अनुसार शिष्यवृत्ति प्रदान की जाती है । शिष्यवृत्ति की 10 प्रतिशत राशि छात्रों के खाते में जमा की जाती है ।

संविधान ( अनुसूचित जाति ) अध्यादेश , 1950 अनुसूचित जातियों की सूची  
अनुसूचित जातियां –

1. औधेलिया
2. बागरी, बागड़ी
3. वहना, वहाना
4. बलाही , बलाई
5. बांछड़ा
6. बराहर, बसोड़
7. वरगुंडा
8. बसोर, बुरुड़ , बंसोर , बंसोड़ी , बांसफोर , बसार
9. बेड़िया
10. बेलदार, सुनकर
11. भंगी , मेहतर, बाल्मीक , लालबेगी , धरकर
12. भानुती
13. चडार
14. चमार, चमारी, बैरवा, भांवी, जाटव , मोची , रेगर, नोनी, रोहिदास , रामनामी , सतनामी , सूर्यवंशी , सूर्यरामनामी , अहिरवार चमारमांगन, रैदास
15. चिड़ार
16. चिकवा, चिकवी
17. चितार
18. दहैत , दहायत, दाहत
19. देवार
20. धानुक
21. ढेड़ , ढेर
22. धोबी ( भोपाल, रायसेन, एवं सीहोर जिले में )
23. डोहोर
24. डोम, डुमार, डोम, डोमार , डोरीस
25. गांडा, गांडी स
26. घासी, घसिया
27. होलिया
28. कंजर
29. कतिया, पथरिया
30. खटिक
31. कोली , कोरी
32. कोटवाल ( भिड, धार , देवास , गुना , ग्वालियर , इंदौर , झाबुआ , खरगोन , मंदसौर , मुरैना, तेजगढ़, रतलाम , ष्शाजापुर , षिवपुरी उज्जैन और विदिषा जिलों में )
33. खंगार , कनेरा , मिरधा
34. कुचबंधिया



35. कुम्हार ( छतरपुर , दतिया , पन्ना, रीवा , सतना , शहडोल ,सीधी और टीकमगढ़ जिलों में )
36. महार, मेहरा , मेहर
37. मांग,मांग ,मरोड़ी , मांग गारूड़ी , दनखनी मांग , मांग सहाषी , मदारी, गरूड़ी , राधेमंग
38. मेघवाल
39. मोधिया
40. मुसखान
41. नअ , कालबेलिया , सपेरा, नवदिगार ,कुबूदूतर
42. पारधी ( भिड,धार ,देवास,गुना,ग्वालियर , इंदौर, झाबुआ ,खरगोन, मंदसौर ,मुरैना, राजगढ़ ,रतलाम ,षाजापुर , षिवपुरी , उज्जैन और विदिषा जिलों में )
43. पासी
44. रूज्झर
45. सांसी, सांसिया
46. सिलावट झमराल

परिषिष्ट -2

मध्यप्रदेश की अनुसूचित जन जातियां ( संशोधन 1976 )

- 1 अगरिया
- 2 आन्ध
- 3 बैगा
- 4 भैना
- 5 भारिया,भूमिआ ,भुईहार, भूमियां , भूमिआ , भारिया , पालिहा, पांडी
- 6 भतरा
- 7 भील ,भिलाला, बरेला, पटलिया
- 8 भील , मीना
- 9 भुंजिया
- 10 बिआर ,बीआर
- 11 बिंझवार
- 12 बिरहुल , बिरहोर
- 13 दमोर, दामरिया
- 14 धनवार
- 15 गदाबा , गदबा
- 16 गौड, अरख, आरख , अगरिया, असुर ,बड़ी मारिया , बड़ा मारिया , भटोला ,भीमा , भुता ,कोइलाभुता , कोइलाभुती , भार, बायसनहार्न , मारिया , छोटा मारिया ,दंडामी मारिया ,धुरू , धुरवा ,धोबा , धुलिया , डोरला , गायकी , गट्टा- गट्टी , गैता ,गोंड ,गोवारी, हिल मारिया , कंडरा , कलंगा , खटोला, कोइतर , कोया, खिरवार, खिरवारा , कुचा मारिया , कुचाकी , माडिया, मारिया , माना , मन्नेवार , मोध्या , मोगिया , मेंध्या , मुडिया , नागरची , नागवंशी ,ओझा , राज , सोन्झारी , झरेका , थाटिया ,थोट्या , बड़े मारिया , बडे माडिया , दरोई
- 17 हलबा , हलबी
- 18 कमार
- 19 कारकू
- 20 कबर ,कंवर, कौर ,चेरवा, राठिया ,तंवर चत्री
- 21 कीर ( भोपाल , रायसेन और सीहोर
- 22 खैरवार , कोदर
- 23 खरिया
- 24 कोंध ,खोंड, कांघ
- 25 कील
- 26 कोलम
- 27 कोरकू , बोपची ,मवासी, निहाल , नाहुल ,बोंधी , बेडिया
- 28 कोरवा, कोडाकू
- 29 माझी
- 30 मझवार
- 31 मवासी

- 32 मीना ( विदिषा जिले के सिंरोज सब-डिवीजन में )  
33 मुंडा  
34 नगेसिया , नगासिया  
35 उरांव , धनका , धनगड़  
36 परिका , ( छतरपुर , दतिया , पन्ना , रीवा , सतना, शहडोल , सीधी और टीकमगढ़ जिलों में )  
37 पाव  
38 परधान , पथारी ,सरोती  
39 पारधी ( भोपाल ,रायसेन तथा सीहोर जिलों में )  
40 पारधी, बहेलिया , बहेल्लिया, चिता पारधी , लंगोली , पारधी , फांस पारधी , षिकारी ,टाकनकर, टाकिया ( 1 बस्तर , छिंदवाड़ा , मंडला ,रायगढ़ ,सिवनी ,और सरगुजा जिलों में 2. बालाघाट जिले की बैहर तहसील में , 3. बैतूल जिले के बैतूल और भैंसदेही तहसीलों में , 4. बिलासपुर जिले की बिलासपुर और कटघोरा तहसीलों में , 5. दुर्ग जिले की दुर्ग और संजरी तहसीलों में , 6 राजनांदगांव जिले की चौकी मानपुर और महाल राजस्व –निरीक्षकों के क्षेत्रों में , 7. जबलपुर जिले के मुरवारा , पाटन और सीहोर तहसीलों में, 8. होषंगाबाद जिले की होषंगाबाद और सुहागपुर तहसीलों में और नरसिंहपुर जिले में , 9 दृखंडवा जिले की हरसूद तहसील में , 10. रायपुर जिले की विन्द्रा , धमतरी और महासमुन्द्र तहसीलों में ।  
41 परजा  
42 सहारियां , सहरिया , सेहरिया , सहरिया , सोसिया, सोर  
43 साओता , सौता  
44 सौर  
45 सावर, ,सेवरा  
46 सौर

भारत सरकार का राजपत्र असाधारण भाग-।।खंड-1 , नई दिल्ली , बुधवार जनवरी 8, 2003। पौष 18, 1924 में प्रकाषित ..... अंग्रेजी टाईप करना

क्र०	नाम जाति / उप जाति / वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव (यादव) बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत, गोवारी ( ग्वारी ) , गोवरा , गवारी, ग्वारा, गोवारी, गोवरा, गवारी, ग्वारा गोवारी, महांकुल (राउत) महकुल, गोपगवाल, द्विगायत / गोपाल	पशुपालन व दूध विक्रेता का व्यवसाय करने वाली जाति	"यादव " अहीर जाति की उपजाति के रूप में शामिल की गई है । अधिकांश अहीर व उसकी उपजातियां अपने को यादव कहती है व लिखती है । यादव राजपूत इसमें शामिल नहीं है ।
2	असारा , असाड़ा	कृषि कार्य	—
3	बैरागी ( वैष्णव )	धार्मिक भिक्षावृत्ति करने वाली जाति	वैष्णव को बैरागी की उप जाति के रूप में शामिल किया गया है । ब्राह्मण जाति के बैरागी शामिल नहीं किये गये हैं ।
4	बंजारा, बंजारी, मथुरा, नायक	घुम्मकड़ बैलों को हांककर व्यवसाय करने वाली जाति	नायक को बंजारा जाति की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया है । नायक ब्राह्मण शामिल नहीं है ।
5	बरई , तमोली, तम्बोली, कुमावट	पान उत्पादन व विक्रेता	बरई तथा तमोली जाति के लोग अपने को चौरसिया कहते हैं ।
6	बढ़ई , सुतार , दवेज, कुन्देर ( विष्वकर्मा )	कृषि कार्य हेतु लकड़ी के औजार बनाना लकड़ी का फर्नीचर तैयार करना	विष्वकर्मा को बढ़ई की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया गया है ।
7	बारी	पत्तो से पत्तल बनाने वाली जाति	—
8	वसुदेव, वसुदेवा, वासुदेव, वासुदेवा, हरबोला, कापड़िया, कापड़ी, गोंधली , थारवार	विरुदावली गाना एवं बैल भैसों का व्यापार करना व धार्मिक भिक्षावृत्ति	इस क्रमांक में वसुदेव जाति की सभी उपजातियों को शामिल किया गया है ।
9	भड़भूंजा, भुंजवा, भुर्जी , धुरी या धूरी	चना, लाई , ज्वार इत्यादि खाद्यान्न का भाड़ में भूंजना	इसमें वैश्य जाति से अपने को संबद्ध करने वाली जाति शामिल नहीं है ।
10	भाट , चारण, सुतिया , सालवी, राव, जनमालोंधी, जसोंधी , मरुसोनिया	राजा के सम्मान में प्रशंसात्मक कविता पाठ व विरुदावली का गायन करना	---
11	छीपा , भावसार , नीलगर, जीनगर, निराली , रंगारी, मनधाव	कपड़ों में छपाई व रंगाई	---
12	ढीमर, भोई , कहार, कहरा, धीवर,	मछली पकड़ना. पालकी ढोला ,	बाथम , कष्यम, रायकवार

	/मल्लाह/नावड़ा /तुरहा, केवट ( कष्यप, निषाद ,रायकवार, बाथम )कीर (भोपाल ,रायसेन,सीहोर, जिलों को छोड़कर ) ब्रितिया (वृत्तियां ) सिगरहा, जालारी (जालारनलु बस्तर जिले में ) सोंधिया	घरेलू नौकरीकरना ,सिघाड़ा व कमल गट्आ उगाना ,पानी भरना नाव चलाना	,भोई जाति की उपजातियां हैं । इसी रूप में सम्मिलित किया गया है । कीर जाति भोपाल ,रायसेन , सीहोर जिलों में अनुसूचित जन जाति में शामिल है । जालारी (जालारनलु) बस्तर जिले में पाई जाती है ।
13	पंवार, पोवार, भोयर ,भोयार	कृषि एवं कृषि मजदूरी	इसमेंपंवार/पवार, राजपूत शामिल नहीं है ।
14	भुर्तिया, भुतिया	पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय	—
15	भोपा , मानभाव	धार्मिक शिक्षावृति	इस जाति का यह समुदाय जो गौर ब्राह्मण है । सूची में शामिल किया गया है ।
16	भटियारा	भट्टी लगाकर सार्वजनिक उपयोग के लिए खाद्य पदार्थ तैयार करना है ।	---
17	चुनकर ,चुनगर, कुलवंधया ,राजगिर	चुना ,गारा कार्य करने व भवन निर्माण इत्यादि में कारीगरी का कार्य करना	—
18	चितारी	दीवारों पर चित्रकारी करना	—
19	दर्जी , छीपी, छिपी , षिपी ,मावी (नामेदव)	कपड़ा सिलाई करना	—
20	धोबी ( भोपाल ,रायसेन ,सीहोर जिलों को छोड़कर ) बट्टी, बरेठा ,रजक	कपड़ा साफ करना	धोबी , भोपाल ,रायसेन,सीहोर जिले में अनुसूचित जाति में शामिल है ।
21	मीना (रावत) देशवाली, मेवाती, मीणा ( विदिषा जिले की सिरोज एवं लटेरी तहसील को छोड़कर )	कृषक	रावत, मीना जाति की उपजाति है जो ब्राह्मण नहीं है । मीण /मीना सिरोजतहसील में अनुसूचित जन जाति में घोषित है ।
22	किरार , किराड़ धाकड़	कृषक	राजपूत इसमें शामिल

			नहीं है
23	गड़रिया , धनगर ,कुरमार ,हटगर ,हाटकार, गाड़री , धारिया , घोषी ( गड़रिया )गारी, गायरी, गड़रिया ( पाल बघेले )	भेड़ बकरी पालना	गड़रिया जाति व उसकी उपजातियां अपने को पाल व बघेले भी कहते हैं , पाल व बघेले गड़रिया जाति की उपजाति के रूप में शामिल किये गये है बघेल राजपूत पिछड़ी जाति में शामिल नहीं है ।
24	कड़ेरे , धुनकर , धुनिया , धनका, कोडार	कपास की रूई धुनकने का कार्य करना , कड़ेरे, आतिषबाजी बनाने का कार्य भी करते हैं ।	-
25	कोष्ठा , कोष्ठी ( देवांगन ) कोष्ठा , माला , पदमषाली, साली , सुतसाली, सलेवार, सालवी , देवांग , जन्द्रा , कोस्काटी ,कोष्काटी ( लिंगायत) गढ़वाल , गढ़ेवाल, गरेवार , गरवार, डुकर , कोल्हाटी	बुनकर	इस समूह में सम्मिलित डुकर कोल्हाटी कर्तव्य व कसरत का प्रदर्शन करते हैं ।
26	धोली / डफाली / डफली / ढोली , दमामी, गुरब	गांव पुरोहित का कार्य शिव मंदिरों में पूजा व उपजातियां ढोल बजाने का कार्य करती हैं ।	इस समूह में ब्राह्मण समूह शामिल नहीं हैं ।
27	गुसाई , गोस्वामी	धार्मिक भिक्षावृत्ति , मंदिरों में महंती	ब्राह्मण जाति से संबंधित कहने वाले लोग इस समूह में सम्मिलित नहीं है ।
28	गूजर ( गुर्जर )	कृषक पशुपालन	राजपूत व क्षत्रिय कहलाने वाले सम्मिलित नहीं है ।
29	लोहार, लुहार, लोहपीटा , गड़ोले , हुंगा, लोहार, लोहपटा , गड़ोला , लोहार ( विष्वकर्मा )	लोहे के औजार बनाने का कार्य करना	विष्वकर्मा में ब्राह्मण सम्मिलित नहीं है ।
30	गारपगारी, नाथ-जोगी , जोगीनाथ , हरिदास	गारपगारी ओला वृष्टि की रोग करके फसल की रक्षा का कार्य करते हैं जोगी व इस समूह की अन्य जातियां धार्मिक भिक्षावृत्ति का व्यवसाय करते हैं ।	जोगी धार्मिक भिक्षावृत्ति करते हैं लेकिन इस समूह में जो ब्राह्मण है , वे शामिल नहीं है ।
31	धोबी	भैंस पालन व पशु पालक	इसमें राजपूत क्षत्रिय शामिल नहीं है ।

32	सोनार, सुनार , झाणी ,जाड़ी (स्वर्णकार)अवधिया , औधिया , सोनी ( स्वर्णकार )	स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण उधड़ने व बनाने का कार्य करना	इस समूह में सोना-चांदी के व्यापारी वर्ग या ज्वेलर्स सम्मिलित नहीं है ।
33	(अ) काछी ( कुषवाहा, शाक्य , मौर्य , कोयरी या कोइरी ( कुषवाहा) कोहरी , पनारा , मुराई , सोनकर ) ( ब ) माली ( सैनी ) ,मरार	शाक सब्जी उत्पादन व साग सब्जी तथा फूल उत्पादन व बागवानी	" कुषवाहा "काछी कोयरी व कोइरी जाति की उपजाति है , काछी जाति को शाक्य व मौर्य भी उपजातियां हैं ।
34	जोषी ( भड्डी ) ड्कोचा, डकोता	ज्योतिष का व्यवसाय व शनि का दान लेना	शनिदेव के नाम पर भिक्षावृति व मृत्यु दान लेना , जोषी जाति के लोग करते है , जोषी ब्राह्मण इसमें शामिल नहीं है ।
35	लखेरा, लखेर , कचेरा, कचेर	लाख का कार्य करना कांच की चुड़ियां बेचना	—
36	ठठेरा , कसार, कसेरा, तमेरा, तम्बटकर , ओटारी,ताम्रकार,तमेर ,घड़वा, झारिया	तांबा ,पीतल व कांसा के बर्तन बनाना	—
37	खातिया , खाटिया , खाती	कृषक	---
38	कुम्हार ( प्रजापति ) , कुंभार , ( छतरपुर , दतिया , पन्ना ,टीकमगढ़, सतना ,रीवा ,सीधी व शहडोल जिलों को छोड़कर	मिट्टी के बर्तन बनाना	कुम्हार जाति छतरपुर , दतिया , पन्ना , टीकमगढ़, सतना ,रीवा ,सीधी व शहडोल जिलों में अनुसूचित जाति में शामिल है ।
39	कुरमी, कुरमार,कुनबी, कुर्मी ,पाटीदार ,( कुलगी, कुल्मी, कुलम्बी ) कुर्मवंशी , चन्द्राकर , चन्द्रनाहू, कुंभी ,गवैल ( गमैल ) सिरबी	कृषक कृषि मजदूरी	—
40	कमरिया	पशुपालक व दुग्ध विक्रेता	—
41	कौरव, कांवरे	कृषक	—
42	कलार (जायसवाल ) कलाल,डडसेना	मदिरा(शराब ) बेचना	—
43	कलोता , कलौटा ,कोलता, कोलटा	कृषक	—
44	लोनिया , लुनिया, ओड़,ओड़े	नमक बनाना व साफ करना	—
45	ओड़िया , नौनिया , मुरहा ,मुराहा ,मुड़हा, मुड़ाहा	मिट्टी खोदना	—

46	नाई ( सेन , सविता, उसरेटे , श्रीवास ) ,म्हाली ,नाब्ही, उसरेटे	बाल बनाना , विवाह शादी में संस्कार संपन्न कराना	सेन,सविता, श्रीवास ,उसरेटे नाई की उप जातियों के रूप में सम्मिलित की गई है
47	नायटा, नायड़ा	लघु कृषक , कृषि मजदूरी	—
48	पनका, पनिका (छतरपुर,पन्ना, दतिया ,टीकमगढ़,सतना, रीवा , , सीधी , शहडोल जिलों को छोड़कर	मजदूरी करना गांव की चौकीदारी करना बुनकर	" पनिका "छतरपुर , पन्ना, दतिया , टीकमगढ़ ,रीवा , सतना ,सीधी व शहडोल जिले में जन जाति में शामिल है
49	पटका , पटकी ,पटवा	सिल्क के धागे व सूत बनाना	जैन धर्म के लोगों को छोड़कर
50	लोधी ,लोधा, लोध	कृषक	—
51	सिकलीगर	शस्त्र सफाई लोहे के औजारों की धार तेज करना	—
52	तेली (ठाठ ,साहू ,राठौर )	तेल पेरना व बेचने का व्यवसाय करना	तेली जाति के लोग अपने को "साहू व राठौर "कहते है । राठौर को तेली की उपजाति में सम्मिलित किया गया है । "राठौर" राजपूत इसमें शामिल नहीं है ।
53	तवायफ,किसडी,कसडी	नाच गाकर मनोरंजन करने वाले	—
54	वोवरिया	मजदूरी	अनु. जनजाति "कोरकू "की उपजाति हे बैतूल जिले की भंवरगढ़ क्षेत्र में निवास करती है ।
55	रोतिया, रौतिया	जो कृषि कार्य करती है पूर्व में सैनिक वृत्ति करती थी	सरगुजा तथा जसपुर क्षेत्र में पाई जाती है
56	मानकर , नहाल	जंगली जन जाति मजदूरी करना	मानकर की उप जाति "निहाल" अनु. जन जाति में शामिल है ।
57	कोटवार, कोटवाल, ( भिण्ड, धार,देवास,गुना ,ग्वालियर ,इंदौर , झाबुआ , खरगौन , मंदसौर ,मुरैना , राजगढ़ ,रतलाम , शाजापुर , षिवपुरी , उज्जैन एवं विदिषा जिलों को छोड़कर )	ग्राम चौकीदारी	"कोटवाल" जाति को भिण्ड ,धार,देवास,गुना,ग्वालियर , इंदौर,झाबुआ ,खरगौर ,मंदसौर ,मुरैना, राजगढ़ रतलाम , शाजापुर ,



			षिवपुरी , उज्जैन एवं विदिषा जिलों में अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है ।
58	खैरुवा	कत्था बनाना	" खैरुवा " खैरवार की उपजाति है " खैरवार "अनुसूचित जन जाति में शामिल है ।
59	लोढा (तंवर )	कृषक मजदूरी, लकड़ी बेचकर जीवन यापन करना	—
60	मोवार	जंगली जानवरों का षिकार व मजदूरी	एक अघोषित आदिम जन जाति
61	रजवार	कृषक एवं कृषि मजदूर	—
62	अघरिया	कृषक एवं कृषि मजदूर	यह जाति अघरिया जन जाति से भिन्न जाति है ।
63	तिऊर ,तूरी	मछली पकड़ना व उसका व्यवसाय करना नाविक बांस एवं बेंत का सामान बनाने का कार्य करना	—
64	भारुड़	पशुओं की पीठ पर लदान द्वारा माल ढोना	मुगलकाल में फौज की रसद ढोने का कार्य भी करते थे ।
65	सुत सारथी –सईस /सहीस	घोड़ों की देखरेख घोड़ागाड़ी हांकना	—
66	तेलंगा, तिलगा	कृषि श्रमिक	जंगली आदिम जाति जशो तेलुगू भाषी है विशेषकर बस्तर जिले में पाई जाती है ।
67	राघवी	कृषि कार्य करना	—
68	रजभर	कृषि मजदूरी	—
69	खारोल	कृषि मजदूर	—
70	सरगरा	ढोल बजाना	—
71	गोलान, गवलान, गौलान	गाय भैंस पालना और दूध का व्यवसाय करना	—
72	रज्जड़ , रज्जड़	कृषि मजदूरी	—
73	जादम	कृषि मजदूरी	—
74	दांगी	कृषक	"दांगी" राजपूतों को सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

75	गयार / परधनिया	कृषि मजदूर एवंपालतू पक्षी पकड़कर बेचने वाले	रायगढ़ जिले में अधिकतर पाये जाते हैं ।
76	कुड़मी	कृषक	अधिकतर बैतूल जिले में निवास करते हैं
77	मेर	कृषक मजदूर	गुना जिले में आबाद है ।
78	बया महरा / कौषल वया	बुनकर	अधिकांशतः दुर्ग जिले में निवास करते हैं
79	पिंजारा (हिन्दु )	—	—
80	विलोपत	—	—
81	अनुसूचित जातियां जिन्होंने ईसाई धर्म अथवा बौद्ध धर्म (नव बौद्ध ) स्वीकार कर लिया है	पेषा वही है जो धर्म परिवर्तन के पूर्व करते आ रहे हैं ।	अनुसूचित जातियां जिन्होंने ईसाई धर्म व बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है , उनको आयोग द्वारा पिछड़े वर्ग में शामिल कर लिया गया है ।
82	आंजना	—	—
83	धोरिया	—	—
84	गेहलोत , मेवाड़ा	—	—
85	रेवारी	—	—
86	रुआला / रुहेला	—	—

1	रंगरेज	कपड़ों की रंगाई	हिन्दू छीपा जाति के समान व्यवसाय
2	भिष्टी	पानी भरने का काम	हिन्दुओं की कहार जाति के समान धंधा
3	छीपा	कपड़ों में छपाई करना	हिन्दु छीपा जाति के समान व्यवसाय
4	हेंला	मलमूत्र सफाई का कार्य	हिन्दू मेहतर जाति की तरह कार्य
5	भटियारा	भोजन बनाने का कार्य	—
6	धोबी	कपड़ा धोने का कार्य	हिन्दू धोबी जाति के समान व्यवसाय
7	मेवाती	कृषि, पशुपालन कार्य के समान कार्य	हिन्दु मेवाती जाति के समान कार्य ।
8	पिंजारा , नद्दाफ , फकीर, बेहना, धुनिया, धुनकर , फकीरषाह , सोई , कब्रखोदू	रुई धुनाई का कार्य , भिक्षावृत्ति कब्र खोदना	हिन्दुओं की कड़ेरा जाति के समान
9	कुंजड़ा , राईन	साग-सब्जी फल इत्यादि बेचना	हिन्दुओं की काछी जाति के समान साग -सब्जी का कार्य ।
10	मनिहार	कांच की चूडिया व बिसात खाने का सामान बेचना	हिन्दुओं की कचेर जाति के समान धंधा
11	कसाई , कस्साव	पशुओं का वध एवं उनका मांस/गोष्ठ बेचने का कार्य	हिन्दु खटीक जाति के समान धंधा
12	मिरासी	विरुदावली यषोगान का वर्णन करना	हिन्दु भाट जाति की तरह पेशा
13	मिरधा	चौकीदारी/ रखवाली	हिन्दुओं की मिरधा की जाति की तरह व्यवसाय
14	बढ़ई ( कारपेंटर ) खरादी , कमलीगर	लकड़ी का सामान एवं फर्नीचर बनाने का काम	हिन्दु बढ़ई जाति के समान पेशा
15	हज्जाम (बारबर )	बाल बनाने का कार्य	हिन्दुओं की नाई जाति के समान पेशा करने वाले
16	हम्माल	वजन ढोने या पल्लेदारी करना	—
17	मोमिन जुलाहा ( वे जुलाहे जो मोमिन हैं )	कपड़ा बुनाई का कार्य	हिन्दु कोष्टी /कोष्टा जाति के समान पेशा

18	लुहार , नागौरी	लोहे के औजार व अन्य सामान बनाना	हिन्दुओं के लुहार / लोहार जाति की तरह पेशा करने वाले
19	तड़वी	कृषि कार्य	—
20	बंजारा	घुमक्कड़ जाति/समूह बैल गाड़ी से सामान ढोना तथा पशुओं को बेचने का व्यवसाय	हिन्दुओं में बंजारा जाति के समान व्यवसाय
21	मोची	चमड़े के जूते चप्पल आदि बनाना	हिन्दुओं में चमार जाति के समान व्यवसाय करने वाले
22	तेली नायता , पिडारी ( पिंडारा ) कांकर	कोल्हू से पेरकर निकालना व बेचना	हिन्दु तेली जाति के समान पेशा करने वाले
23	पेमदी	पेड़ पौधों की कलम लगाने का धंधा	—
24	कलङ्गर	बर्तनों में अन्य सामान में	—
25	नालबंद	बैलों व घोड़ों के पैरों में नाल बांधने का काम	—
26	सीषगर	—	—
27	गोपी	पशु पालन व दूध विक्रेता का व्यवसाय	क्रमांक-1पर हिन्दु गोली के समकक्ष जाति
28	राजगीर	ईंट की जुड़ाई , चूना गारा भवन निर्माण का कार्य	—
29	डफली	मोगना	—
30	घोषी व गवली गोली	दूध बेचना व पशु चराना	—
31	सिकलीगर	औजारों पर धार लगाना	—
32	संतदास	पत्थर की जुड़ाई एवं सफाई	—
33	नट	कलाबाजी दिखाना	—
34	शेख मेहतर	सफाई कामगार के रूप में कार्य करना	—
35	नियारगर	सुनाक व सड़क की धूल , कचरे व नदी नाले की मिट्टी एकत्रित कर उसे धोकर इसमें से धातु को एकत्रित कर सुनारों के पास बेचना	—
36	गद्दी	पशु पालन कृषि तथ मजदूरी	—
37	मुकेरी	पशु पालन एवं पशु व्यवसाय	—
88	बैसवार	कृषि एवं मजदूरी करना	—
89	वाणी	आदिवासी अंचलों में वनोपज का व्यवसाय एवं ग्रामीण	—

		अंचलों में लगने वाले हाट बाजारों में सड़क के किनारे दुकान लगाने का छोटा मोटा व्यवसाय	
90	षिवनोई /जाट	कृषि एवं कृषि मजदूरी	—

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वार्षिक प्रतिवेदन हेतु जानकारी वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 20017

(प्रपत्र-अ)

क्र.	विभाग का नाम	विभाग के अंतर्गत/संबंध लोक प्राधिकारी का नाम	दिनांक 31.12.2016 को लंबित आवेदनों की संख्या	दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 तक प्राप्त आवेदनों की संख्या	योग	दिनांक 01.2017 से 31.12.2017 तक निराकृत आवेदनों की संख्या	दिनांक 31.12.2017 को लंबित आवेदनों की संख्या	निराकृत आवेदनों में से ऐसे आवेदनों की संख्या जिनमें जानकारी देने से मना किया गया	वर्ष में सूचना अधिकारियों द्वारा की गई राशि का विवरण		
									आवेदन पत्र के साथ प्राप्त निर्धारित शुल्क की राशि	सूचना प्रदान करने हेतु बसूल की गई राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जनजातीय कार्य विभाग सागर	सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सागर	—	42	42	38	04	—	रु 420 के स्टाम्प	—	—
2	जनजातीय कार्य विभाग दमोह	जिला संयोजक दमोह	—	14	14	12	02	02	रु.140 के स्टाम्प	220	360
3	जनजातीय कार्य विभाग पन्ना	जिला संयोजक पन्ना	—	33	33	31	02	—	रु.240 के स्टाम्प	—	—
4	जनजातीय कार्य विभाग टीकमगढ़	जिला संयोजक टीकमगढ़	—	16	16	16	—	—	रु.90 के स्टाम्प	—	—
5	जनजातीय कार्य विभाग छतरपुर	जिला संयोजक छतरपुर	—	64	64	64	—	—	रु.640 के स्टाम्प	968 /—	1608
6	कार्यालय संभगीय उपायुक्त जनजातीय कार्य एवं अनु0 जाति विकास सागर संभाग सागर	संभगीय उपायुक्त जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास सागर संभाग सागर	—	01	01	—	—	—	—	—	—
योग—			—	170	170	161	08	02	1530 /—	1188 /—	1968 /

1- संभागय उपायुक्त,जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास सागर संभाग सागर में प्राप्त आवेदन सहायक आयुक्त,जनजातीय कार्य विभाग सागर से संबंधित होने पर मुलतः प्रेषित किया गया है।

सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वार्षिक प्रतिवेदन हेतु  
जानकारी वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017

(प्रपत्र-ब)

क्र0	विभाग का नाम	विभाग के अंतर्गत/संबंध लोक प्राधिकारी का नाम	दिनांक 31.12.2016 को लंबित अपीलों की संख्या	दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 तक प्राप्त अपीलों की संख्या	योग	दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक निराकृत अपीलों की संख्या	दिनांक 31.12.2017 को लंबित अपीलों की संख्या	अपील के माध्यम से प्राप्त निर्धारित शुल्क की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	जनजीतय कार्य विभाग सागर	सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सागर	—	01	01	—	01	—
	जनजीतय कार्य विभाग दमोह	जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग दमोह	—	13	13	13	—	450
	जनजीतय कार्य विभाग पन्ना	जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग पन्ना	—	—	—	—	—	—
	जनजीतय कार्य विभाग टीकमगढ़	जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग टीकमगढ़	—	—	—	—	—	—
	जनजीतय कार्य विभाग छतरपुर	जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग छतरपुर	—	—	—	—	—	—
	जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास सागर संभाग सागर	संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास सागर संभाग सागर						

1- जिला सागर:- श्री प्रदीप आंदोलनकारी सद्भावना नगर मकरोनिया सागर को समय सीमा में जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु पत्र जारी या गया था उनके द्वारा कार्यालय में संपर्क नहीं किया गया है। उक्त अपील प्रकरण अपर कलेक्टर सागर के न्यायालय में लंबित है।

संभागीय उपायुक्त,  
जनजातीय कार्य एवं अनु0 जाति विकास  
सागर संभाग सागर

(प्रपत्र-स)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वार्षिक प्रतिवेदन हेतु जानकारी							
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017							
क्र0	विभाग का नाम	सूचना के अधिकार अधिनियम हेतु आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या			प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या		
		प्रशासन अकादमी में	अन्य	योग	प्रशासन अकादमी में	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जनजातीय कार्य विभाग सागर	—	—	—	—	—	—
2	जनजातीय कार्य विभाग दमोह	—	—	—	—	—	—
3	जनजातीय कार्य विभाग पन्ना	—	—	—	—	—	—
4	जनजातीय कार्य विभाग टीकमगढ़	—	—	—	—	—	—
5	जनजातीय कार्य विभाग छतरपुर	—	—	—	—	—	—
6	जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास सागर संभाग सागर	—	—	—	—	—	—

संभागीय उपायुक्त,  
जनजातीय कार्य एवं अनु0 जाति विकास  
सागर संभाग सागर



सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वार्षिक प्रतिवेदन हेतु जानकारी (प्रपत्र-द)

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017

वर्ष 2017 में राज्य शासन से अनुदान प्राप्त करने वाली ऐसी संस्थाओं की संख्या जो कि अधिनियम की धारा (2) के तहत

“SUBSTANTIALLY FINANCED” की श्रेणी में आती है।

अनुक्रमांक	विभाग का नाम	संस्था का नाम एवं पता
1	2	3
सागर	जनजातीय कार्य विभाग सागर	कार्यालय सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, टीसीपीसी परिसर खुरई रोड सागर फोन नम्बर 07582-266073
दमोह	जनजातीय कार्य विभाग दमोह	कार्यालय जिला संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग कलेक्टर परिसर दमोह फोन नम्बर 07812-224730
पन्ना	जनजातीय कार्य विभाग पन्ना	कार्यालय जिला संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग, कचहरी रोड पन्ना फोन नम्बर 07732-252094
टीकमगढ़	जनजातीय कार्य विभाग टीकमगढ़	कार्यालय जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग टीकमगढ़ फोन नम्बर 07683-242032
छतरपुर	जनजातीय कार्य विभाग छतरपुर	कार्यालय जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग छतरपुर फोन नम्बर 07682-248618
सागर संभाग सागर	संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास सागर संभाग सागर	कार्यालय संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास सागर संभाग सागर, अशोक बिहार कालोनी बी0एम0सी0 कॉलेज के सामने फोन नम्बर 07582-237038

संभागीय उपायुक्त,  
जनजातीय कार्य एवं अनु0 जाति विकास  
सागर संभाग सागर



